

राजस्थान विधान सभा
कार्य सलाहकार समिति
सोलहवां प्रतिवेदन
बुधवार, दिनांक 01 अप्रैल, 2015

कार्य सलाहकार समिति की बैठक दिनांक 01 अप्रैल, 2015 को मध्याह्न पश्चात् 2.00 बजे माननीय अध्यक्ष के वैशम (चैम्बर) में हुई। समिति ने अपने पन्द्रहवें प्रतिवेदन में आंशिक संशोधन करते हुए निर्णय लिया कि सोमवार, दिनांक 06 अप्रैल, 2015 एवं बुधवार, दिनांक 08 अप्रैल, 2015 को सदन में अग्रेत्तर लिये जाने वाले कार्य का बटवारा निम्न प्रकार किया जाय तथा पन्द्रहवें प्रतिवेदन के अनुसार दिनांक 07 अप्रैल, 2015 को लिये जाने वाले कार्य यथावत रहेंगे :-

सोमवार, दिनांक 06 अप्रैल, 2015

- 1- अतिरेक मांगें वर्ष 2011-2012 पर मुखबन्द का प्रयोग किया जाकर मतदान एवं पारण।
- 2- राजस्थान विनियोग (संख्या-4) विधेयक, 2015 का पुरःस्थापन, उस पर विचार एवं पारण।
- 3- राजस्थान सिविल न्यायालय (संशोधन) विधेयक, 2015;
- 4- महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, उदयपुर (संशोधन) विधेयक, 2015; एवं
- 5- राजस्थान विशेष आर्थिक जोन विधेयक, 2015;
- पर विचार एवं पारण।

बुधवार, दिनांक 08 अप्रैल, 2015

- 1- राजस्थान नदी बेसिन और जल संसाधन योजना विधेयक, 2015;
- 2- राजस्थान सम्पत्ति विरूपण निवारण (संशोधन) विधेयक, 2015; एवं
- 3- राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2015
- पर विचार एवं पारण।

कैलाश चन्द्र मेघवाल
पदेन सभापति

विधान सभा भवन,

जयपुर ।

दिनांक 01 अप्रैल, 2015

नोट :- उपरोक्त कार्य के बटवारे में अध्यक्ष महोदय द्वारा आवश्यकतानुसार परिवर्तन किया जा सकेगा ।